मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-1

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 7 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 16, 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" के गायन से प्रारम्भ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री मोहम्मद मकबूल डार, भूतपूर्व संसद सदस्य श्री अमृतलाल तारवाला, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा सर्वश्री चिरोंजीलाल गुप्ता, श्री बंशीलाल धृतलहरे, श्री हिम्मत सिंह परतेती, कुंवर मनोहर सिंह, सुप्रसिद्ध समाज सेविका सुश्री निर्मला देशपांडे तथा भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल श्री एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री रामलखन शर्मा, लाखन सिंह बघेल, मनमोहन शाह बट्‌टी, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री हमीद काजी तथा श्री हुकुम सिंह कराड़ा ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.53 बजे से 11.00 बजे तक स्थगित रही।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इंदौर की घटना के संबंध में उनके साथ हुई घटना पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हेतु अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा उनसे प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कहने का आग्रह किया गया। किन्तु नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्नकाल स्थगित कर उक्त विषय पर चर्चा करने का आग्रह किया गया। सदन में अत्यधिक शोरगुल एवं व्यवधान के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका। अत: दिनांक 7 जुलाई, 2008 के निर्धारित लिखित प्रश्नोत्तर नियम 45 (3) के अनुसार कार्यवाही के अंत में मुद्रित किए जाएगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे से 11.32 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

सदन के पुनः समवेत होने पर, विपक्ष के समस्त सदस्यों द्वारा पुनः उपरोक्त मांग दोहराई गई, अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि इन्दौर की घटना तथा नेता प्रतिपक्ष के साथ कल हुई घटना पर स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा कराई जायेगी।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा में विद्युत संकट होने,

(2) श्री किशोर समरीते, सदस्य की लांजी में राईस मिलों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के एल.एन.सी. नहर की शाखा का निर्माण न होने,

(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के बहोरीबंद स्लीमनाबाद मार्ग की बदतर हालत होने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में आरा मशीनों का बिना परमिट संचालन होने,

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा व खाचरौद में अनेक सड़कों की जर्जर हालत होने तथा

(7) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की जैतपुर (शहडोल) की माध्यमिक शाला के छात्रों को परीक्षा से वंचित करने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखा :-

(1) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008),

(2) मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008); तथा,

(3) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008)।

6. फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यगण गर्भगृह में आये तथा नारेबाजी की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें अपने आसनों पर जाने का अनुरोध किया गया)

8. सभा द्वारा यथापारित तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2003 को यथापारित मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 33 सन् 2003) जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है, इसे प्रमुख सचिव सदन के पटल पर रखेंगे।

तद्नुसार, प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा इस विधेयक को, मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 (2) की अपेक्षानुसार पटल पर रखा गया।

9. सभा द्वारा यथापारित महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना एवं तदुपरांत पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को यथापारित महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है :-

"महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) जो दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति हेतु लंबित था, प्रश्नाधीन विधेयक में जहां तक कुलाधिपति के अधिकार एवं दायित्वों का प्रश्न है, को मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के अनुरूप किये जाने के लिए संशोधन किया जाय।

2. अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अधीन मैं इस विधेयक को विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापिस करता हूँ।"

बलराम जाखड़
राज्यपाल, मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव, विधान सभा (डॉ.ए.के. पयासी) ने मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को यथापारित और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए रूप में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) को मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 (2) की अपेक्षानुसार पटल पर रखा।

10. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 6 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2008),

(2) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2008),

(3) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2008),

(4) न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2008),

(5) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2008) एवं

(6) मध्यप्रदेश कॉटन कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2008).

11. ध्यानाकर्षण

(अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी में अनियमितता होने एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार स्थित शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी से शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्रस्तुत करने हेतु नाम पुकारे गये किन्तु सदन में व्यवधान एवं शोरगुल के कारण प्रस्तुत नहीं की गई)

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया है :-

(1) श्रीमती सुधा जैन

(2) श्री लाल सिंह आर्य

(3) श्री ज्ञान सिंह

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार

(5) डॉ. गोविन्द सिंह

(6) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)

13. वक्तव्य

श्री रूस्तम सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने दिनांक 4 मार्च, 2008 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 93) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

14. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 7 जुलाई, 2008 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

क्रमांक	विधेयक का नाम/अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008)	30 मिनट
3.	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008)	30 मिनट
4.	मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008)	30 मिनट
5.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2008)	30 मिनट
6.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008)	30 मिनट
7.	इंदौर स्पेशल इकॉनामिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008)	30 मिनट
8.	मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008)	30 मिनट
9.	मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008)	30 मिनट
10.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008)	30 मिनट
11.	मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008)	1 घण्टा
12.	मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008)	30 मिनट
13.	वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।	2 घन्टे
14.	वर्ष 1995-1996 के आधिक्य की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।	30 मिनट
15.	वर्ष 1996-1997 के आधिक्य की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।	30 मिनट
16.	मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम,1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन मध्यप्रदेश विधान सभा कुटुम्ब पेंशन नियम, 2000 में संशोधन संबंधी संविहित संकल्प।	30 मिनट
17.	मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम,1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा नियम, 1957 में संशोधन संबंधी संविहित संकल्प।	30 मिनट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही। अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें अपने आसनों पर जाने का अनुरोध किया गया)

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(6) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(9) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(10) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(11) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(12) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

पूर्वाह्न 11.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 17, 1930) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.